



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, मार्च 27—अप्रैल 2, 2011, शनिवार/चैत्र 6—चैत्र 12, 1933

No. 14]

NEW DELHI, MARCH 27—APRIL 2, 2011, SATURDAY/CHAITRA 6—CHAITRA 12, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय) भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय) भर्ती संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग सहायक निदेशक (गोपनीय) भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) नियम 3 में, “वेतनमान” शब्दों के स्थान पर, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (गोपनीय)	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	(वेतन बैंड-3) 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन, 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
		(8)	(9)	(10)		
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष		
भर्ती की पद्धति :		भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा			
		(11)	(12)			
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है)		प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) :				
सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।		I. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :				
		(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या				
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन, 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या				
		(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन, 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है;				
		(iv) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन, 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और				
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-				
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य;				
		(ii) किसी विश्वविद्यालय या संस्थाओं, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा या भर्ती निकाय जिसके अन्तर्गत गोपनीय प्रकृति के विषय जैसे परीक्षा अभिलेखों,				

(12)

प्रश्नपत्र, लिपियों, मूल्यांकन संबंधी कार्य भी हैं, परीक्षा कार्य के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव ।

II. सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : लेफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे आफिसरों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्त के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र ऑफिसर उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी । (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु-तक पुनर्नियोजन)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा एक जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना, सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्ति, साधारण सेवाएं, भर्ती नियम और सतर्कता), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य

[फा. सं. 39021/13/2009-स्था. (बी.)]

राकेश मोजा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 153, तारीख 17 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th March, 2011

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential) Recruitment Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential) Recruitment Rules, 2001,—

- (a) in rule 3, for the words “scale of pay”, the words “pay band and grade pay or pay scale” shall be substituted;
(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (Confidential)	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ‘A’ Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs. 5400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Not applicable				Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces Personnel	
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)				(12)		
Deputation (including short term contract) for Armed Forces Personnel :— Deputation or re-employment				Deputation (including short term contract) I. Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent;		

(12)

- (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) Bachelor's degree from a recognized University or equivalent;
 - (ii) three years experience of handling examination work including matters of confidential nature such as those pertaining to examination records, question papers, scripts, evaluation in universities or institutions, examination or recruiting body at State or National level.

II. For Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on reemployment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

Note 1 : Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organizations or departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)	(14)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :—	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary."
1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman	
2. Additional Secretary (Administration, Appointment, General, Services-I, Rect. Rules and Vigilance) Union Public Service Commission —Member	
3. Joint Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Member	

[F. No. 39021/13/2009-Estt. (B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 153 dated 17th March, 2001.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (मोटर परिवहन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, मोटर परिवहन पर्यवेक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (मोटर परिवहन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 में,—

(i) नियम 2 में, “वेतनमान” शब्दों के स्थान पर, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
------	------

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या

(12)

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है;

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में अठारह वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास केन्द्रीय सरकार के अधीन यानों के उपयोग, देखभाल, अभिरक्षा, मरम्मत और रखरखाव कर्तव्य वाले पदों पर मोटर परिवहन कार्य का सात वर्ष का अनुभव है।

(ग) जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमाम्य चलान अनुज्ञप्ति है।

वांछनीय : किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रमाण-पत्र।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

इन नियमों के उपबंधों का कोई शिथिलीकरण या संशोधन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/12/2009-स्था. (ख)]

राकेश मोजा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 433, तारीख 30-9-1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्पूर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 103, तारीख 24-2-2001 द्वारा किया गया था।

New Delhi, the 18th March, 2011

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Motor Transport Supervisor) Recruitment Rules, 1995, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Motor Transport Supervisor Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Motor Transport Supervisor) Recruitment Rules, 1995,—

- (i) in rule 2, for the words “scale of pay”, the words “pay band and grade or pay scale” shall be substituted;
- (ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Motor Transport Supervisor	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)	(12)
Deputation	<p>Deputation :</p> <p>Officers under the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>(iv) with eighteen years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and</p>

(12)

(b) having seven years experience in motor transport work, in posts involving duties relating to use, care, custody, repair and maintenance of vehicles under the Central Government; and

(c) having a valid driving licence for motor cars.

Desirable : Motor Mechanic Certificate from an Industrial Training Institute.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for any relaxation or amendment of the provisions of these Rules.

[F. No. 39021/12/2009-Estt. (B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 433, dated 30-9-1995 and subsequently amended by number G.S.R. 103, dated 24-2-2001.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1993 में,—

(i) नियम 2 में, “वेतनमान” शब्दों के स्थान पर, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	04*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300— 34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से आधारिक प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो या किसी भी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या कार्य अध्ययन या संगठन और पद्धति या विश्लेषणात्मक या सांख्यिकी या संचिका अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के अनुप्रयोजन में एक वर्ष का अनुभव।

(12)

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : सशस्त्र बल के जूनियर कमीशंड ऑफिसर या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे ऑफिसरों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र ऑफिसर उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्ति, साधारण और सेवाएं), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (परीक्षा) या संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य

जब प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के साथ सशस्त्र बल के कार्मिक हों, तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।”

[फा. सं. 39021/1/2010-स्था. (बी)]

राकेश मोजा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 173, तारीख 3 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्व उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415 तारीख 12 अक्टूबर, 2002 तथा सा.का.नि. 162, तारीख 14 मई, 2005 द्वारा संशोधन किए गए।

New Delhi, the 18th March, 2011

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1993, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Research Assistant (Work Study) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1993,—

- (i) in rule 2, for the words “Scale of Pay”, the words “Pay Band and Grade Pay or Pay Scale” shall be substituted;
- (ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post(s)	Classification	Pay Band and Grade pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Assistant (Work Study)	04* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group ‘B’ Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications for required direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Two years for Armed Forces Personnel re-employed	
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made			
(11)			(12)			
By Deputation (For Armed Forces Personnel : Deputation/Re-employment)			Deputation : Officers under the Central Government :			
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or			
			(ii) with six years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; or			
			(iii) with ten years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and			

(12)

- (b) possessing the following educational qualifications and experience :—
- (i) Bachelor's degree from a recognized University;
 - (ii) Completed successfully the Basic Management Service Course of Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training from any other recognized institution or having one year experience in the application of Work-Study or Organisation and Methods or Analytical or Statistical or Operations Research or other Management Research Techniques.

Deputation/Re-employment :

For Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment shall be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organizations or departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of:—

1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman
2. Additional Secretary (Administration, General and Services), Union Public Service Commission —Member
3. Joint Secretary (Examination) or Joint Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation or re-employment.

[F. No. 39021/1/2010-Estt. (B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification number G.S.R. 173, dated the 3rd April, 1993 and subsequently amended *vide* Notification numbers G.S.R. 415, dated the 12th October, 2002 and G.S.R. 162, dated the 14th May, 2005.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग के स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को वे व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर का पद धारण कर रहे हैं और जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव रखते हों और जो उपर्युक्त समझे जाते हैं इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे वे अपनी-अपनी श्रेणी में आमेलन के पात्र होंगे और उनके मूल विभागों को केन्द्रीय सूचना आयोग में उनके आमेलित होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीखों के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी।

5. **अनर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर	11*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 : 5200—20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल करने में चालीस वर्ष की जा सकेगी)। टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत

(6)

में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण;
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान रखता हो;
(iii) विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;
(iv) मोटर कार चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

टिप्पणी : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पूर्व सैनिकों के लिए
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-1 : रु. 5200—20200 और ग्रेड वेतन रु. 1800 में समूह 'ग' के नियमित कर्मचारियों में से जो मोटर कार चालन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों जिसके

(11)

न होने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में सदृश पद धारण कर रहे पदधारियों में से जो सीधी भर्ती के लिए विहित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जहां जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) पूर्व सैनिक के लिए

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर बाह्य विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अपने अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता।

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय सूचना आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग | —सदस्य |
| 3. अवर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग | —सदस्य |

[सं. एफ. 1/31/2010-आईआर]

अनुराधा एस. चगती, उप सचिव

New Delhi, the 29th March, 2011

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Staff Car Driver in the Central Information Commission, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Information Commission, Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the above said Schedule.

4. **Initial Constitution.**—(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the post of Staff Car Driver on the date of commencement of these rules on deputation basis and who fulfil the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable, shall be eligible for absorption in the respective grade subject to condition that such persons exercise their option for the absorption and that their parent Departments do not have any objection to their being absorbed in the Central Information Commission.

(2) The seniority of officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the posts concerned.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver	11* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1: Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing

(6)

date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(7)

(8)

(9)

- (i) 10th Standard pass from a recognized Board;
- (ii) knowledge of motor mechanism;
- (iii) must possess a valid driving licence;
- (iv) experience of driving motor car for atleast three years.

Not applicable

Two years

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made

(10)

(11)

Deputation/absorption failing both by direct recruitment.

For Ex-servicemen

Deputation/Re-employment

Deputation/Absorption :

From amongst the regular Group 'C' employees in Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 1800 in the Central Information Commission who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor car

(11)

failing which from officials holding analogous posts in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as prescribed for direct recruits.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 3 : The maximum age limit for appointment to deputation/absorption shall be "not exceeding 56 years" as on the closing date of the receipt of applications.

(ii) For Ex-servicemen :

Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee consisting of (for considering confirmation) :—

Not applicable.

1. Director (Administration), Central Information Commission —Chairman
2. Deputy Secretary, Central Information Commission —Member
3. Under Secretary, Central Information Commission —Member

[No. F. 1/31/2010-IR]

ANURADHA S. CHAGTI, Dy. Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

सा.का.नि. 109.—कतिपय नियमों को निम्नलिखित प्रारूप केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 के साथ पठनीय धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार, इन नियमों द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के बाद विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति की ओर से प्राप्त होने वाले किसी भी सुझाव या आपत्ति पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियों तथा प्रभाव, यदि कोई हों, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम**भाग-1 प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 है।
- (2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और निम्नलिखित को भी लागू होंगे
 - (क) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान और किसी प्रचालक — जिसका प्रमुख व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास स्थान भारत में हो — द्वारा प्रचालित किसी वायुयान पर सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हो;
 - (ख) भारत में सभी वायुयान।
- (3) ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से होंगे।
2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—
 - (क) “अधिनियम” वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) अभिप्रेत है;
 - (ख) “विमान क्षेत्र प्रचालक” से किसी विमान क्षेत्र के प्रचालन और प्रबंध के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है;
 - (ग) “विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट” से सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विमान क्षेत्र या किसी विमान क्षेत्र में प्रवेश के लिए जारी फोटो पहचान-पत्र, स्मार्ट कार्ड या अस्थायी परमिट अभिप्रेत है;
 - (घ) “वायुयान प्रचालक” से वायुयान प्रचालन में लगे या लगने का प्रस्ताव करने वाला कोई कथित, संगठन या उद्यम अभिप्रेत है;
 - (ङ) “विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाई” से अभिप्रेत है, नागर विमानन और वायु परिवहन की संरक्षा को जोखिम में डालने वाली कार्रवाई या उसका प्रयास, जिनके अंतर्गत शामिल है :—
 - (i) उड़ान में वायुयान का विधि विरुद्ध अभिग्रहण;
 - (ii) भूमि पर वायुयान का विधि विरुद्ध अभिग्रहण;
 - (iii) वायुयान में उड़ान के दौरान या विमान क्षेत्रों पर बंधक बनाया जाना;
 - (iv) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान या किसी विमान क्षेत्र पर या किसी वैमानिकी सुविधा परिसर में बलपूर्वक अतिक्रमण करना;
 - (v) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान या किसी विमान क्षेत्र पर या किसी आपराधिक प्रयोजन के लिए आशयित कोई सामग्री ले जाना;
 - (vi) उड़ान के दौरान या भूमि पर किसी वायुयान की, किसी विमान क्षेत्र पर या किसी नागर विमानन सुविधा परिसर पर यात्रियों, कर्मियों, भू कर्मियों या साधारण जनता की संरक्षा को जोखिम में डालने के उद्देश्य से मिथ्या जानकारी की संसूचना देना;

- (च) “वायु पार्श्व” से किसी विमान क्षेत्र का आवागमन क्षेत्र, पार्श्वस्थ भू-भाग और भवन या उसका कोई भाग जिस पर नियंत्रण हैं, अभिप्रेत है;
- (छ) “आयुक्त” से सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय; जो उपाबंध-17 की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होगा;
- (ज) “विमानन सुरक्षा समूह” से किसी विशेषज्ञ प्राप्त सरकारी अधिकरण अभिप्रेत है जिस की एक इकाई को आयुक्त द्वारा विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा और नागर विमानन को संभालने वाले वायु क्षेत्र पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (झ) “केबिन बैगेज” से किसी वायुयान के केबिन में वहन के लिए अभिमत कोई यात्री सामान अभिप्रेत है;
- (ञ) “अभिसमय” से 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय अभिप्रेत है;
- (ट) “एक्सप्रेस तुरंत स्थोरा” से डाक से भिन्न माल अभिप्रेत हैं तथा यात्रियों या कर्मोदल से स्वैच्छिक रूप से या आसावधानी से पृथक हो गया हो या यात्री सामान या साथ की वस्तुएं अभिप्रेत हैं – जिसे किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वहन किया जाना अपेक्षित होता है;
- (ज) “उड़ान में सुरक्षा अधिकारी” से किसी विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की कार्यवाही के विरुद्ध वायुयान में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा वायुयान में तैनात सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत है;
- (ड) “डाक” से डाक प्रशासन द्वारा और उनके वितरण के लिए आशयित पत्रकार का संवाद और अन्य वस्तुएं अभिप्रेत हैं;
- (ढ) “आवागमन क्षेत्र” से किसी विमान का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के भूतल आवागमन के लिए आशयित है और जिसके अन्तर्गत मैन्यूवरिंग एरिया तथा एप्रन भी हैं;
- (ण) “राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम” से केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अभिसमय के किसी भी उपाबंध को प्रभावी बनाने के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (त) “अधिकारी” से भारत सरकार द्वारा किसी भी कार्यालय में नियुक्त या नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (थ) “प्रतिषेध वस्तु” से कोई वस्तु जिसे गैर कानूनी हस्तक्षेप का कोई कृत्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिसे उपयुक्त तरीके से घोषित न किया गया हो;
- (द) “सार्वजनिक विमान क्षेत्र” से ऐसा विमान क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे व्यापक रूप से जनता द्वारा उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो;
- (ध) “विनियमित अभिकर्ता” से कोई अभिकर्ता, माल अग्रेषक या कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जो किसी प्रचालक के साथ कारबार करता है और वे सुरक्षा नियंत्रण उपलब्ध कराता है, जो वायु द्वारा परिवहन के संबंध में कार्गो, कूरियर तथा एक्सप्रेस पार्सल या डाक के संबंध में आयुक्त द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित हो;
- (न) स्क्रीनिंग से तकनीकी या अन्य माध्यम का अनुप्रयोग अभिप्रेत है जो शस्त्रों, विस्फोटकों या अन्य खतरनाक युक्तियों की पहचान करने या पता लगाने के लिए अभिप्रेत हो जिनका प्रयोग नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता हो;
- (प) “सुरक्षा” से विधिविरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाइयों के विरुद्ध नागर विमानन रक्षोपाय के आशय से उपायों, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संयोजन अभिप्रेत है;
- (फ) “सुरक्षा निर्वाधन” से किसी वायुयान, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों का अनुपालन अभिप्रेत है;
- (ब) “सुरक्षा दुर्घटना” से कोई ऐसी घटना जिसका परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर उपहति या सम्पत्ति की प्रमुख क्षति अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए “गंभीर उपहति” का आशय वही होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है;

- (भ) “सुरक्षा घटना” से नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में कोई घटना अभिप्रेत है जो भूमि या उड़ान के दौरान हुई जिसके परिणामस्वरूप—

- (i) किसी व्यक्ति को चोट लगे, सम्पत्ति को क्षति हो, आग से या किसी प्रकार की क्षति हो;
- (ii) सुरक्षा नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन तथा भंग हुई हो;
- (म) “सुरक्षा नियंत्रण” से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा, आयुध, विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक युक्तियाँ, वस्तु या प्रदार्थों, जिन्हें किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को रोका जा सके;
- (य) “सुरक्षा कार्यक्रम” से आयुक्त द्वारा लिखित विशिष्ट उपाय अभिप्रेत है जिन्हें विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के विरुद्ध नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी अस्तित्व द्वारा अंगीकृत किया जाना है;
- (यक) “टर्मिनल” से वह भवन या भवनों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जहाँ यात्रियों, सामान, कार्गो, कूरियर बैगों आदि की स्क्रीनिंग और वायुयानों में बोर्डिंग की जाती है और इसके अन्तर्गत आगमन भवन भी है;
- (यख) “लावारिस सामान” से किसी विमान क्षेत्र पर सामान टैग लगा हुआ या उसके बिना सामान अभिप्रेत है जिसे किसी यात्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया या पहचाना नहीं गया है;
- (श) “अत्यावश्यक संस्थापन” से विमान क्षेत्र पर या उससे जुड़ी हुई कोई सुविधा यदि क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर विमान क्षेत्र का कार्यकलाप गंभीर रूप से ह्रासित हो जाएंगे।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. आयुक्त के कर्तव्य.—(1) आयुक्त—

- (क) उड़ानों की संरक्षा, नियमितता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध कृत्यों तथा खतरे की संभावनाओं के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालनों के रक्षोपाय से संबंधित अभिसमय के उपबद्ध-17 के उपबंधों के संगत राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को स्थापित, विकसित, क्रियान्वित, अनुरक्षित और पुनरीक्षित करना;
- (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना;
- (ग) किसी भी बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे का सामना करने के लिए त्वरित जवाबी कार्रवाई करना;
- (घ) राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र तथा वायुयान प्रचालकों और अन्य अस्तित्वों के मध्य क्रियाकलापों को परिभाषित करना तथा इन्हें कार्य आर्बंटित करना और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना;
- (ङ) देश के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र और वायुयान प्रचालकों तथा अन्य अस्तित्वों के बीच सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति की स्थापना करना या ऐसे ही समान व्यवस्थाएं इंतजाम करना;
- (च) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में अंतर्वलित या इसके लिए उत्तरदायी सभी अस्तित्वों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थापित, विकसित तथा क्रियान्वित करना जिन्हें उक्त सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;
- (छ) नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर एक ऐसे प्राधिकारी को पदानित करना जो सुरक्षा नियंत्रणों के क्रियान्वयन का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ज) विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों और कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर विमान क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करना;
- (झ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावी अनुपालन अवधारित करने और इसे विधिमान्यकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित, क्रियान्वित तथा अनुरक्षित करना;
- (ट) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन सत्यापन करने और किसी भी कमी का तत्काल तथा प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा संपरीक्षा, जांच सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के लिए व्यवस्था करना;

(ठ) संदर्भित राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा किए गए किसी सुरक्षा जोखिम आकलन के आधार पर इसके राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भित कारकों के सामंजस्य की नीतियों और कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया की स्थापना;

4. **अपील.**—इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा यदि व्यथित कोई व्यक्ति इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास अपील कर सकेगा।

भाग-2 विमान क्षेत्र पर सुरक्षा उपाय

5. **विमान क्षेत्र सुरक्षा अपेक्षाएं का नियोजन, डिजाइन तथा ले-आउट.**—(1) विमान क्षेत्र का नियोजन, डिजाइन और अभिविन्यास राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उपबोधित विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित है,—

- (क) यात्रियों, यात्री सामान, स्थोरा, कुरियर तथा त्वरित पार्सल, डाक और खान-पान भंडार तथा प्रदाय के लिए अनुप्रयुक्त सुरक्षा नियंत्रण;
- (ख) वायु पार्श्व पर पहुंच, सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील विमान क्षेत्रों और सुविधाओं का संरक्षण तथा नियंत्रण;
- (ग) सुरक्षा उपस्करों का उपयोग; और
- (घ) स्थापत्य तथा अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं।

(2) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक आयुक्त द्वारा किए गए सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन के अनुसार नागर विमानन के सेवारत विमान क्षेत्र पर सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित करेगा।

(3) विमान क्षेत्र प्रचालक नई सुविधाओं के डिजाइन तथा निर्माण के एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित विमान क्षेत्र डिजाइन बनाएगा और आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विमान क्षेत्र के विद्यमान डिजाइन तथा सुविधाओं में परिवर्तन करेगा।

6. **विमान क्षेत्र परिधि.**—प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, विमान क्षेत्र के आसपास के चारों ओर 0.457 मीटर (डेढ़ फुट) की ऊपर वाली कंटोली तार युक्त 2.438 मीटर (8 फुट) की ऊंचाई की परिधि का निर्माण करेगा।

परन्तु आयुक्त किसी प्रकार के खतरे या किसी अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए परिधि दीवार के विनिर्देशनों को वृद्धि कर सकेंगे।

7. **गश्त और परिवेक्षण चौकियों के लिए प्रकाश तथा सड़क का उपबंध.**—विमान क्षेत्र प्रचालक पर निम्नलिखित सुरक्षा व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :

- (क) परिधि और किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रकाश;
- (ख) सुरक्षा कार्मिकों के गश्त के लिए सभी मौसमों के लिए सड़क; तथा
- (ग) सुरक्षा कार्मिकों के संप्रेषण तथा कमांड चौकियों की व्यवस्था :

परन्तु आयुक्त, सुरक्षा बोध को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो उपयुक्त समझें, लिखित रूप में आदेश करेगा।

8. **विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम.**—आयुक्त के अनुमोदन से प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अपेक्षाओं के अनुसरण में विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा और उसको कार्यान्वित करेगा तथा ऐसे कार्यक्रम में कोई संशोधन आयुक्त से अनुमोदन के पश्चात् होगा।

9. **विमान क्षेत्र पर प्रचालन के लिए सुरक्षा क्लियरेंस.**—(1) कोई भी विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से सुरक्षा व्यवस्थाओं अनापत्ति और विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी विमान क्षेत्र पर प्रचालन आरंभ नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी विमान क्षेत्र के प्रचालक ने इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या वह इनका अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को अभिलिखित करके उसके द्वारा प्रदत्त या अनुमोदित सुरक्षा अनापत्ति तथा सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या निरस्त कर सकेगा।

10. **लावारिस व सदेहास्पद यात्री सामान की उठाई-धराई.**—(1) यह विमान क्षेत्र प्रचालक—

- (क) संदिग्ध या लावारिस यात्री सामान को रखने के लिए सुरक्षित या पार्थक्य क्षेत्र का संनिर्माण और अनुरक्षण करना, और
- (ख) उसका अन्वेषण करना और इसका निपटान करना।

11. विमान क्षेत्र पर कारबार स्थापना.—(1) कोई विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से इस संदर्भ में सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त के बिना विमान क्षेत्र के सुरक्षा निर्बाधित क्षेत्र में किसी कारबार स्थापन की स्थापना करने के लिए अनुमति नहीं देगा ।

(2) परंतु, जहां कोई कारबार स्थापन, आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात सुरक्षा निर्बाधित क्षेत्र में स्थापित है, कारबार स्थापन का स्थायी राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में कारबार स्थापना सुरक्षा कार्यक्रम बनाएगा और अनुपालन करेगा ।

12. विमान क्षेत्र प्रचालक के स्वामित्व की सुविधाओं का संरक्षण.—प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक उसके स्वामित्व की अति आवश्यक संस्थापनाएं जिसके अन्तर्गत तकनीकी और रखरखाव, विद्युत आपूर्ति, विद्युत उप गृह, नियंत्रण टावर्स और दूसरे भवनों जो वायुयातायात सेवाओं और संचार सुविधाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, को चिह्नित करना और उनकी रक्षा करना ।

13. विमानन सुरक्षा समूह.—(1) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, सरकारी सुरक्षा अभिकरण के कार्मिकों की ऐसी संख्या में नियोजित करेगा जो इन नियमों के अधीन समनुदेशित सुरक्षा कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त कार्मिक विमानन सुरक्षा समूह के रूप में अभिहित होंगे और ऐसे समूह के मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित होंगे ।

(3) विमानन सुरक्षा समूह विमान क्षेत्र प्रभारी के साधारण पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा ।

(4) विमान क्षेत्र प्रचालन, विमानन सुरक्षा समूह को ऐसी सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगा जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएं ।

(5) आपात परिस्थितियों में, आयुक्त, विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा ।

14. मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के कार्य.—मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी को निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करना होगा, अर्थात् :—

- (i) उसे यात्रियों, कर्मीदल, भू-कार्मिकों और अन्य विमान क्षेत्र प्रयोक्ताओं, वायुयान, विमान क्षेत्र तथा अत्यावश्यक संबंधित सुविधाओं जिसके अन्तर्गत अत्यावश्यक संस्थापन भी हैं, की सुरक्षा करना;
- (ii) विमान क्षेत्र के प्रतिबाधित क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण उपायों को लागू करना;
- (iii) परिधि की सुरक्षा;
- (iv) यात्रियों तथा उनके हाथ के यात्री सामान की स्क्रीनिंग करना;
- (v) विमान क्षेत्र के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र की निगरानी करना;
- (vi) कार पार्क, दृश्य गैलरी, विमान क्षेत्र जलपान गृह आदि तथा संचलन क्षेत्र के समीप के क्षेत्रों सहित सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- (vii) सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- (viii) विमान क्षेत्र परिसरों में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना;
- (ix) प्रतिबाधित क्षेत्रों में व्यक्तियों के आवागमन का पर्यवेक्षण करना;
- (x) स्थानीय पुलिस तथा आसूचना एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना; और
- (xi) आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्यों को करना;

15. भूमि उठाई-धराई सेवा.—किसी विमान क्षेत्र में भी भूमि उठाई-धराई सेवा प्रदाता को आयुक्त से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त किए बिना और अपने सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना भूमि उठाई-धराई सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं हो ।

16. आकस्मिक योजना.—(1) विमान क्षेत्र प्रचालक विधिविरुद्ध हस्तक्षेपों के कृत्यों से निपटने के लिए आयुक्त के अनुमोदन से आकस्मिक योजना बनाएगा ।

(2) आकस्मिक योजना का परीक्षण आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार नियमित अवधियों पर किया जाएगा ।

17. उच्छृंखल यात्रियों को वायुयान से उतारना.—मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विमानन सुरक्षा समूह का कोई अन्य अधिकारी समादेशक पायलेट के किसी लिखित अनुरोध पर यात्रियों तथा कर्मीदल की सुरक्षा तथा संरक्षा के जोखिम के आधार पर किसी व्यक्ति को वायुयान से नीचे उतार सकता है ।

भाग-3 विमान क्षेत्र पहुंच नियंत्रण

18. विमान क्षेत्र में प्रवेश.—(1) विमान क्षेत्र में केवल प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट धारक व्यक्तियों को ही विमान क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी ।

- (2) विमान क्षेत्र में प्रवेश करने का टिकट विमान क्षेत्र प्रचालक द्वारा जारी होंगे ।
- (3) आयुक्त द्वारा विमान क्षेत्र परमिट संभव रूप से सत्यापन करने के पश्चात जारी किया जाएगा ।
- (4) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त या विमान क्षेत्र प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट जारी करने का निदेश दे सकेगी ।
- (5) किसी व्यक्ति को प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट प्राप्त किए बिना विमान क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।
- (6) धारक द्वारा विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट को ड्यूटी के दौरान प्रत्येक समय कमर से ऊपर के स्तर पर सहज दृश्य रूप से प्रदर्शित करेगा ।

(7) कोई व्यक्ति—

- (क) किसी पशु, पक्षी या वस्तु को न छोड़ेगा या न फेंकेगा और न ही किसी से फिकवाएगा,
- (ख) न ही अपने कब्जे या नियंत्रण के अधीन किसी पशु को भ्रमण कराएगा, और
- (ग) संचलन क्षेत्र में आयुक्त से प्रवेश परमिट लिए बिना किसी वाहन को प्रचालन नहीं करेगा :

परंतु, इसके अलावा वायुयान में सवार होने वाले, वायुयान से उतरने वाले या ट्रांजिट की प्रक्रिया के समय वायुयान टिकट धारकों या कोई व्यक्ति जो विमान क्षेत्र में नियमित ड्यूटी पर नियोजित है और आयुक्त द्वारा जारी विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट रखता है, को प्रवेश टिकट या प्रवेश परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(8) आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट की समाप्ति या निरस्त होने या व्यक्ति को सेवा के पर्यवसान पर, जिसे यह जारी किया गया है विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट वापस करना होगा ।

(9) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, विमान क्षेत्र प्रचालक या आयुक्त, को यदि यह समाधान हो जाता है कि उसे ऐसा करना सुरक्षा के हित में अपेक्षित या समीचीन है :

- (i) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंकार कर सकेगा;
- (ii) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र से बाहर करना अपेक्षित है ।

19. सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में प्रवेश.—(1) विमान क्षेत्र प्रचालक, प्रत्येक विमान क्षेत्र पर सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में वायुयान से या तक व्यक्तियों तथा यानों के संचलन के लिए व्यवस्था करेगा ।

(2) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में पहुंच की अनुज्ञा देने से पूर्व, विमानन सुरक्षा समूह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, यान, यात्री सामान, माल-असबाब या प्रदाय की स्क्रीनिंग की जाएगी ।

(3) सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में यानों के प्रवेश की अनुमति प्रवेश परमिट या आयुक्त से विशेष अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही होगी ।

20. शस्त्र या विस्फोटकों को ले जाने पर प्रतिषेध.—(1) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र या वायुयान में आयुध, गोला-बारूद या विस्फोटकों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी :

परंतु इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

- (i) विमानन सुरक्षा समूह, सशस्त्र बल और पुलिस कार्मिक को आयुध या गोला-बारूद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो; और
- (ii) आयुक्त किसी व्यक्ति को नकली शस्त्र, विस्फोटक, या विस्फोटक युक्ति या कोई अन्य नकली प्रतिबंधित वस्तु को, विमानन सुरक्षा की कुशलता की जांच करने के उद्देश्य से, सम्यक रूप से प्राधिकृत कर सकेगा ।

भाग-4 आरोहण पूर्व सुरक्षा जांचें

21. आरोहण से पूर्व सुरक्षा जांच.—(1) आरोहण पूर्व, किसी वायुयान में यात्रा आरंभ करने वाले प्रत्येक यात्री और आंतरिक यात्री तथा हस्त यात्री सामान, यदि कोई हो, विमानन सुरक्षा समूह के किसी अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग किए जाएंगे ।

(2) उपनियम (1) के उपबंध केवल पारगमन यात्रियों पर ही लागू होंगे यदि वे वायुयान से उतर रहे हैं :

परन्तु उपनियम (1) और इस नियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें विशेष आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(3) विमानन सुरक्षा समूह तथा विमान क्षेत्र प्रचालक यात्री और उनका केबिन यात्री सामान की स्क्रीनिंग बिन्दु से उसके वायुयान में पहुंचाने तक किसी प्रकार अप्राधिकृत हस्तक्षेप से संरक्षित रखेंगे।

22. स्क्रीनरों का प्रमाणन.—स्क्रीनिंग कर्तव्य का ऐसे अधिकारी द्वारा अनुपालन होगा जिसे आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

23. कतिपय माल को ले जाने पर प्रतिषेध.—(1) आयुक्त, कतिपय माल के व्यक्ति पर या किसी यात्री या कर्मीदल सदस्य द्वारा केबिन यात्री सामान में ले जाने के लिए लिखित में प्रतिबंधित कर सकेगा, जो कि उसकी राय में जिसे नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

(2) जहां स्क्रीनिंग के दौरान किसी प्रतिबंधित माल के होने का पता चलता है ता ऐसे यात्री को वायुयान में प्रवेश की अनुज्ञात नहीं होगा और इन नियमों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भाग-5 वायुयान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा उपाय

24. सुरक्षा कार्यक्रम.—प्रत्येक वायुयान प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में, आयुक्त के अनुमोदन से वायुयान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा तथा उसका अनुपालन ऐसे करेगा और कार्यक्रम में कोई भी संशोधन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

25. प्रचालन के लिए सुरक्षा निर्वाधन.—(1) कोई वायुयान प्रचालक किसी विमान क्षेत्र पर सुरक्षा इंतजामों के निर्वाधन और आयुक्त से नियम 24 के अधीन विमान प्रचालन सुरक्षा कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रचालन नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि कोई वायुयान प्रचालक इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है या अनुपालन करने में असफल है, वह उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और कारणों को लेखबद्ध करके उसे अनुदत्त या अनुमोदित सुरक्षा निर्वाधन और सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

26. स्टाफ की तैनाती.—कोई वायुयान प्रचालक, उन्हीं कार्मिकों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेगा जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो, जिसके चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापन किया जा चुका हो और जिन्हें, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में उचित प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और प्रमाणन के पश्चात नियुक्त किया गया हो।

27. वायुयान की सुरक्षा तलाशी.—कोई वायुयान प्रचालक निम्नलिखित में अपने वायुयान की सुरक्षा तलाशी करेगा—

(क) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में ले जाने से पहले, और

(ख) अवरोहण के बाद यात्रियों के प्रवेश कराने से पहले तथा अवरोहण के पश्चात।

28. वायुयान में पहुंच नियंत्रण.—(1) वायुयान प्रचालक वायुयान में पहुंच और प्रस्थान को सुरक्षा जांच से निगरानी बनाए रखेगा।

(2) वायुयान प्रचालक निम्न द्वारा गैर-प्रचालिक वायुयान का नियंत्रण रखेगा—

(i) केबिन का दरवाजा बंद करके;

(ii) एयरोब्रिजेज और अधर सीडिया को सुरक्षित करके, वापस लाकर और पीछे करके; और

(iii) हस्तक्षेप सुस्पष्ट मुद्रांकित दरवाजे।

29. चालक स्थान के दरवाजे को बन्द करना.—प्रत्येक वायुयान प्रचालक :—

(क) उड़ान की सभी दशाओं में वायुयान के चालक स्थल के दरवाजे बंद रखेगा, जब तक कि इसे प्रचालन कारणों के लिए खोला जाना अपेक्षित न हो;

(ख) केबिन कर्मीदल और उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल के बीच संचार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण; और

(ग) चालक स्थान की पहुंच नियंत्रण का उत्तरदायित्व समादेशक पाइलोट को समनुदेशित करना।

30. उड़ान में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती.—(1) वायुयान प्रचालक, किसी यात्री वायुयान में इतनी संख्या में उड़ान सुरक्षा अधिकारी को ले जा सकेंगे जितने आयुक्त द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) वायुयान प्रचालक समादेशक पायलोट को सशस्त्र कार्मिकों की संख्या तथा उनकी सीट स्थिति के बारे में घोषणा करेंगे।

31. धारित यात्री सामान के सुरक्षा नियंत्रण.—वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक, धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग और सुरक्षा इस प्रकार करेंगे जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

32. धारित यात्री सामान की पहचान तथा पुनर्मिलाप.—धारित यात्री सामान की पहचान तथा पुनर्मिलाप ऐसी रीति में करेगा जो कि समय-समय पर आयुक्त द्वारा लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

33. अंतरित यात्री सामान.—वायुयान प्रचालक अंतरित धारित यात्री सामान को वायुयान में लाये जाने से पहले स्क्रीनिंग करेगा : परंतु उद्भव के बिन्दु पर धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी और तत्पश्चात उसे उद्भव वायुयान क्षेत्र से प्रस्थानकर्ता वायुयान में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप से सुरक्षित करके स्क्रीनिंग के अध्यक्षीन न रहते हुए अंतरित वायुयान क्षेत्र को ले जाया जाएगा ।

34. वायुयान में कैदियों का वहन.—वायुयान प्रचालक किसी कैदी को ऐसी रीति से वहन करेगा जो कि आयुक्त द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

35. स्थोरा, डाक, खान-पान के पद और अन्य भंडार.—वायुयान प्रचालक उड़ान में स्थोरा, डाक, खान-पान मदों और अन्य भंडार तथा प्रदाय ऐसी रीति से स्वीकृत करेगा जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

36. वायुयान का निरोध.—आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत को कोई अन्य व्यक्ति, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी वायुयान का निरोध कर सकेगा यदि उसकी राय में,—

- (क) वायुयान पर उड़ान में अनाधिकृत शस्त्र, विस्फोटक या अन्य विध्वंसक युक्तियाँ हों जिनसे उस वायुयान की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो; या
- (ख) वायुयान पर उड़ान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनधिकृत रीति से वायुयान में प्रवेश प्राप्त किया है या जिससे नागर विमानन प्रचालनों के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप होने की संभावना है; या
- (ग) इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरोध आवश्यक है ।

भाग-6 स्थोरा, कूरियर थैले, डाक और विनियमित अभिकर्ता

37. स्थोरा और कूरियर थैलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण.—(1) किसी वायुयान पर वहन करने के आशय से कोई स्थोरा पर यात्रियों के किसी भी त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उन नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त, प्रसंस्कृत और उठाई-धराई की जाएगी, जिन्हें वायुयान प्रचालक के या आयुक्त द्वारा लिखित रूप से आदेश द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में प्रशिक्षित किया गया है ।

(2) सुरक्षा नियंत्रण किए बिना, जिसके अन्तर्गत एक्स रे स्क्रीनिंग या भौतिक तलाशी जांच भी है, किसी स्थोरा को वायुयान में लादा नहीं जाएगा :

परंतु आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी स्थोरा, त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उस नियम के उपबंध से छूट दे सकेगा ।

38. कूरियर अभिकरण की रजिस्ट्री.—कोई वायुयान प्रचालक किसी भी अभिकरण से परिवहन के लिए कोई भी कूरियर थैले स्वीकार नहीं करेगा जब तक ऐसा अभिकरण,—

- (क) अपने वायुयान प्रचालक के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो; और
- (ख) आयुक्त द्वारा कोई सुरक्षा कार्यक्रम न बना करके और इसको अनुमोदित करवाकर अनुपालन न कर ले ।

39. साथ ले जाए जा रहे थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप.—साथ ले जाए जा रहे कूरियर थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप का कार्य किसी वायुयान प्रचालक द्वारा इस रीति से किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट आयुक्त द्वारा समय-समय पर किया जाए ।

40. कतिपय मालों के वहन का प्रतिबंध.—(1) आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा कतिपय मालों को स्थोरा, या कूरियर थैलों या डाक माध्यम से वहन को प्रतिबंध कर सकेगा ।

(2) प्रतिबंधित वस्तुओं वाले परेषणों को वायुयान में लादा नहीं जाएगा ।

41. सुरक्षा से निर्वाधन स्थोरा या डाक या कूरियर थैलों आदि का संरक्षण.—वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक या कोई अन्य अभिकरण जो इसमें से किसी के लिए कार्य कर रहा हो, स्थोरा या कूरियर थैलों की स्क्रीनिंग और संरक्षण इस रीति से करेगा जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

42. विनियमित अभिकर्ता.—वायुयान प्रचालक, वायु द्वारा वहन को स्थोरा, कूरियर या डाक के लिए विनियमित अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे, जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा अधिक्रमित प्रक्रिया के अनुसार कृत्य करेगा ।

भाग-7 खान-पान, प्रदाय और भंडारण

43. खान-पान प्रदाय.—(1) कोई व्यक्ति, आयुक्त से सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वायुयान में लादने के लिए कोई भी खान-पान मदों का प्रदाय नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाता है कि खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक, उपनियम (1) का उनके सुरक्षा कार्यक्रम को, उल्लंघन करता हो, उनके अवसर प्रदान करने के पश्चात रद्द कर दिया जाएगा।

44. अन्य भंडारणों का प्रदाय.—कोई वायुयान प्रचालक, सुरक्षा स्क्रीनिंग किए बिना वायुयान में उपयोग के लिए किसी मद को वायुयान में नहीं लादेगा।

भाग-8 सुरक्षा दुर्घटनाएं/घटनाएं

45. सुरक्षा दुर्घटना या घटनाओं की रिपोर्टिंग.—प्रत्येक वायुयान प्रचालक, विमानन सुरक्षा समूह, वायुयान क्षेत्र प्रचालक, विनियमित अभिकर्ता, खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक को, सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटनाओं के घटने पर, तत्काल आयुक्त को सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करनी होगी।

46. सुरक्षा दुर्घटना या घटना की जांच.—(1) आयुक्त किसी सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटना की जांच का आदेश दे सकेगा और सुरक्षा जांच अधिकारी नियुक्त करेगा जो सहायक सुरक्षा आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) जांच अधिकारी, चूककर्ता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और इसकी रिपोर्ट आयुक्त को देगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

47. जांच अधिकारी की शक्तियां.—जांच के प्रयोजन के लिए, किसी जांच अधिकारी को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी,—

- (क) सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति की अपेक्षित उपस्थिति;
- (ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा, जो उसके द्वारा दिए गए कथन की सही प्रकृति की बाबत घोषणा कर सके तथा उस पर हस्ताक्षर करें;
- (ग) बहियां, कागजातों, दस्तावेजों तथा वस्तुओं को तैयार करने की अपेक्षा करना;
- (घ) किसी वायुयान या स्थान की जांच तथा पहुंच रखना।

भाग-9 साधारण

48. निरीक्षण.—आयुक्त द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सभी उपयुक्त समय पर किसी भी स्थान या वायुयान में जहां पहुंच आवश्यक है प्रवेश कर सकेगा, तथा वह इन नियमों के उपबंधों के सुरक्षा अनुपालन के प्रयोजन के लिए, सुविधाओं, सेवाओं, उपस्करों दस्तावेजों और रिकार्डों का निरीक्षण करेगा।

[फा. सं. एवी-11012/001/2009-एस]

शुभा ठाकुर, निदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th March, 2011

G.S.R. 109.—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 4 read with Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of forty five days from the date of its publication in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of a period so specified shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Civil Aviation, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjang Airport, New Delhi-110003.

PART I - PRILIMINARY

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Aircraft (Security) Rules, 2011.
- (2) They shall extend to whole of India and apply also to—
- (a) an aircraft registered in India, and to persons on an aircraft operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in India, wherever they may be;
 - (b) all aircrafts in India;
- (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**— (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—
- (a) “Act” means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
 - (b) “aerodrome operator” means a person, organisation or enterprise responsible for operation and management of an aerodrome;
 - (c) “aerodrome entry permit” means the photo identity card, smart card or temporary permit issued by the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation or any person authorised by the Central Government for entry into the aerodrome or part of an aerodrome,;
 - (d) “aircraft operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft operation;
 - (e) “acts of unlawful interference” means acts or attempted acts to jeopardise the safety of civil aviation and air transport, including,—
 - (i) unlawful seizure of aircraft in flight;
 - (ii) unlawful seizure of aircraft on the ground;
 - (iii) hostage-taking on board aircraft or on aerodromes;
 - (iv) forcible intrusion on board an aircraft, at an aerodrome or on the premises of an aeronautical facility;
 - (v) introduction on board an aircraft or at an aerodrome of a weapon or hazardous device or material intended for criminal purposes;
 - (vi) communication of false information with a view to jeopardise the safety of an aircraft in flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general public, at an aerodrome or on the premises of a civil aviation facility;
 - (f) “airside” means the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and buildings or portions thereof access to which is controlled;
 - (g) “Commissioner” means the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation who shall be appropriate authority for the requirements of Annex 17;
 - (h) “Aviation Security Group” means an unit of specialised Government agency authorised by the Commissioner to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and protection of property at the aerodrome handling civil aviation;
 - (i) “cabin baggage” means a baggage intended for carriage in the cabin of an aircraft;
 - (j) “Convention” means the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1944;
 - (k) “express cargo” means goods other than mail and accompanied or baggage involuntarily or inadvertently separated from passengers or crew which is required to be carried on priority basis by an aircraft operator;
 - (l) “In-flight security officer” means Government security personnel deployed on board an aircraft for maintaining security of aircraft against any acts of unlawful interference;
 - (m) “mail” means dispatches of correspondence and other objects tendered by and intended for delivery to postal administrations;

- (n) “movement area” means the area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and includes the maneuvering area and aprons;
- (o) “national civil aviation security programme” means such programme established by any officer authorised by Central Government in this behalf to give effect to any annex of the Convention with the prior approval of Central Government;
- (p) “officer” means a person appointed or employed in any office by Government of India;
- (q) “prohibited article” means an object which can be used to commit an act of unlawful interference and which has not been properly declared;
- (r) “public aerodrome” means an aerodrome which has been licensed for use by public at large;
- (s) “regulated agent” means an agent, freight forwarder or any other entity who conducts business with an operator and provides security controls that are accepted or required by the Commissioner in respect of cargo, courier and express parcels or mails to be transported by air;
- (t) “screening” means the application of technical or other means which are intended to identify or detect weapons, explosives or other dangerous devices which may be used to commit an act of unlawful interference with civil aviation;
- (u) “security” means a combination of measures, human and material resources intended to be used to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;
- (v) “security clearance” means compliance with the security controls specified in the national civil aviation security programme with regard to any aircraft, person or object;
- (w) “security accident” means an occurrence which results in death or grievous hurt to a person or major damage to the property;

Explanation :— For the purposes of this clause “grievous hurt” shall have the meaning assigned to it in Indian Penal Code 1860;

- (x) “security incident” in relation to civil aviation security means an occurrence, which takes place either on the ground or in flight, which results—
 - (i) in injury to a person, damage to property, fire and breakage;
 - (ii) contravention or breach of security laws, regulations, national civil aviation security programme and orders issued by the Central Government under the provisions of the Act;
- (y) “security control” means the method by which the introduction of weapon, explosive or other dangerous device, article or substance, which may be used to commit an act of unlawful interference, can be prevented;
- (z) “security programme” means written measures specified by the Commissioner to be adopted by an entity to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference;
- (za) “terminal” means the building or group of buildings and includes arrival building where screening of passenger, baggage, cargo and courier bag is done and boarding on aircraft takes place;
- (zb) “unattended baggage” means baggage at an aerodrome with or without a baggage tag which is not picked up by or identified by a passenger or any other person;
- (zc) “vital installation” means any facility on or connected with an aerodrome, which, if damaged or destroyed, would seriously impair the functioning of the aerodrome.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as is assigned to them in the Act.

3. Duties of Commissioner.—The Commissioner shall,—

- (a) establish, develop, implement, maintain and review the national civil aviation security programme consistent with the provisions of Annex-17 to the convention to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference and threat perception taking into account the safety, regularity and efficiency of flights;

- (b) make order necessary to carry out the national civil aviation security programme;
- (c) respond immediately to meet any increased security threat;
- (d) define and allocate tasks and coordinate activities between the departments, agencies and other organisations of the State Government, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme;
- (e) establish a national aviation security committee or similar arrangements for the purpose of coordinating security activities between the departments, agencies and other organisations, aerodrome and aircraft operators and other entities concerned with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme;
- (f) establish, develop and implement national civil aviation security training programme for personnel of all entities involved with or responsible for the implementation of various aspects of the national civil aviation security programme which shall be designed to ensure the effectiveness of the said security programme;
- (g) designate an authority at each aerodrome serving civil aviation who shall be responsible for coordinating the implementation of security controls;
- (h) establish aerodrome security committee at each aerodrome serving civil aviation for coordinating the implementation of security controls and procedures as specified in the aerodrome security programme;
- (i) develop, implement and maintain a national civil aviation security quality control programme to determine compliance with and validate the effectiveness of its national civil aviation security programme;
- (j) arrange for security audit, test, survey and inspection to be conducted on a regular basis, to verify compliance with the national civil aviation security programme and to provide for immediate and effective rectification of any deficiency;
- (k) establish and implement policy and procedure to adjust relevant element of its national civil aviation security programme accordingly, based upon a security risk assessment carried out by the national security agencies.

4. Appeals.—If any person is aggrieved by an order passed by an officer in exercise of a powers conferred on him by these rules, he may prefer an appeal to the Central Government.

PART II - SECURITY MEASURES AT AERODROMES

5. Planning, design and layout of the Aerodrome security requirement.—(1) The planning, design and layout of the aerodrome shall be according to the specifications provided in the national civil aviation security programme including,—

- (a) security control applied to passenger, baggage, cargo, courier, express parcel, mail, catering store and supply;
- (b) protection and control of access to airside, security restricted area and other sensitive aerodrome area and facility;
- (c) the use of security equipment; and
- (d) architectural and infrastructure related requirements.

(2) Every aerodrome operator shall establish security restricted area at aerodrome serving civil aviation in accordance with the security risk assessment carried out by the Commissioner.

(3) Aerodrome operator shall make aerodrome design mentioned in the national civil aviation security programme by integrating the design and construction of new facilities and alterations to existing design and facilities at aerodromes shall be carried out after obtaining in writing the approval of the Commissioner.

6. Aerodrome perimeter.—Every aerodrome operator shall construct a perimeter wall of the height of 2.438 meter (8 ft) with overhung fence of 0.457 meter (1.5 ft) around the aerodrome:

Provided that the Commissioner, keeping in view the threat or any other reason, may by order, increase the specification of the perimeter wall.

7. Provision of lighting, road for patrolling and observation post.—The aerodrome operator shall make the following security arrangements at the aerodrome, namely:—

- (a) lighting for perimeter and any other sensitive area;
- (b) all-weather road for patrolling by the security personnel; and
- (c) observation or command posts for the security personnel :

Provided that the Commissioner may, taking into consideration the security perceptions make such order in writing as may be deemed appropriate for security arrangements.

8. Aerodrome security programme.—Every aerodrome operator shall, with the approval of Commissioner, make and comply with aerodrome security programme in accordance with the national civil aviation security programme and any amendment to such programme shall be made after the approval of the Commissioner.

9. Security clearance for operations at aerodrome.—(1) No aerodrome operator shall commence operation at aerodrome without obtaining the clearance of security arrangements and the approval of the aerodrome security programme from the Commissioner.

(2) Where the Commissioner is satisfied that any aerodrome operator has contravened or failed to comply with the provision of these rules, he may, after giving him an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel the security clearance and security programme granted or approved by him.

10. Handling of unattended or suspect baggage.—The aerodrome operator shall—

- (a) construct and maintain a protected and isolated area for placing a suspect or unattended baggage; and
- (b) get the same investigated and disposed off.

11. Business establishment at aerodrome.—No aerodrome operator shall allow the setting up of any business establishment in the security restricted area of aerodrome without obtaining security clearance in this regard from the Commissioner :

Provided that where any business establishment is established in the security restricted area after the approval of the Commissioner, the owner of the business establishment shall make and comply with business establishment security programme in accordance with the national civil aviation security programme.

12. Protection of facilities owned by aerodrome operator.—Every aerodrome operator shall demarcate and protect all vital installations owned by him including technical and maintenance, power supplies, electrical sub-stations, control towers and other buildings used by air traffic services and communication facilities.

13. Aviation Security Group.—(1) Every aerodrome operator shall engage such number of personnel of Government security agency as may be determined by the Commissioner for performing security duties assigned to it under these rules.

(2) The personnel engaged under sub-rule (1) shall be designated as Aviation Security Group and chief of such group shall be designated as Chief Aerodrome Security Officer.

(3) The Aviation Security Group shall work under the general supervision and direction of the aerodrome in-charge.

(4) The aerodrome operator shall provide such facility and support to the Aviation Security Group as may be approved by the Commissioner.

(5) In emergent situations, the Commissioner may make necessary changes in the deployment of Aviation Security Group.

14. Duties of the Chief Aerodrome Security Officer.—The Chief Aerodrome Security Officer shall perform following duties, namely :—

- (i) safeguarding of passengers, crew, ground personnel and other aerodrome users, aircraft, aerodrome and related facilities including vital installations;
- (ii) enforcement of access control measures into the restricted area of the aerodrome;
- (iii) security of perimeter;

- (iv) screening of passengers and their hand baggage;
- (v) surveillance within and around aerodrome area;
- (vi) enforcement of security measures including car parks, viewing gallery, aerodrome restaurant and areas close to movement area;
- (vii) enforcement of security measures;
- (viii) maintenance of order and discipline in the aerodrome premises;
- (ix) supervise the movement of persons in the restricted areas;
- (x) maintenance of liaison with local police and intelligence agencies; and
- (xi) any other duty assigned by the Commissioner.

15. Ground handling service.—No ground handling service provider shall be allowed to provide ground handling services at any aerodrome without obtaining the security clearance and the approval of its security programme from the Commissioner.

16. Contingency Plan.—(1) The aerodrome operator shall make contingency plans to deal with acts of unlawful interference with the approval the Commissioner.

(2) The contingency plan shall be tested at such regular intervals as may be specified by the Commissioner.

17. Disembarkation of unruly passenger.—The Chief Aerodrome Security Officer or any other officer of Aviation Security Group authorised by him in this behalf shall, on a written request of the Pilot-in- Command, disembark any person from the aircraft on grounds of risk to safety and security of the passengers and the crew.

PART III-AERODROME ACCESS CONTROL

18. Entry into aerodrome.—(1) The entry into aerodrome shall be permissible only to the persons having admission ticket or aerodrome entry permit.

(2) The entry ticket to the aerodrome shall be issued by the aerodrome operator.

(3) The aerodrome entry permit shall be issued by the Commissioner after due verification.

(4) The Central Government may direct the Commissioner or aerodrome operator or any other person to issue such admission ticket or aerodrome entry permit.

(5) No person shall enter into aerodrome without obtaining an admission ticket or aerodrome entry permit.

(6) The aerodrome entry permit shall be displayed by the holder conspicuously above waist level at all times while on duty.

(7) No person shall—

(a) leave or throw or cause to be thrown any animal, bird or object,

(b) cause any animal under his possession or control to stray, and

(c) operate any vehicle without entry permit from the Commissioner in the movement area :

Provided that a passenger in the process of embarking, disembarking or in transit holding an air ticket or any person who is engaged on regular duty at an aerodrome and holds an aerodrome entry permit issued by the Commissioner shall not be required to obtain the admission ticket or entry permit.

(8) The aerodrome entry permit shall be surrendered to the Commissioner or to any person authorised by the Central Government in this behalf, upon its expiry or cancellation or upon termination of employment of the person to whom it is issued.

(9) Notwithstanding anything contained in this rule, the aerodrome operator or the Commissioner, may, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of security,—

(i) refuse admission to any person in the aerodrome; or

(ii) require any person to leave the aerodrome.

19. Entry into security restricted area.—(1) The aircraft operator shall make arrangement for movement of person and vehicles to and from the aircraft in security restricted areas at each aerodrome.

(2) Before granting access to security restricted areas, the aviation security group shall screen every person, vehicle, baggage, belongings or supplies.

(3) The entry of vehicles in the security restricted area shall be permissible after obtaining entry permit or special permission from the Commissioner.

20. Prohibition to carry weapons or explosive.—(1) No person shall enter aerodrome or the aircraft with any arm, ammunition or explosive :

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be applicable,—

- (i) to the Aviation Security Group, Armed Forces and Police personnel required to carry their arms or ammunition in connection with the performance of their duties; and
- (ii) to such dummy weapon, explosive, explosive device or any other dummy prohibited item, duly authorised by the Commissioner, for the purpose of testing the efficacy of aviation security.

PART IV - PRE-EMBARKATION SECURITY CHECKS

21. Security check before embarkation.—(1) Before embarkation, every originating passenger and transfer passenger boarding an aircraft and his hand baggage, if any, shall be screened by an officer of the Aviation Security Group or an officer duly authorised in this behalf by the Commissioner.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be applicable to the transit passengers only if they disembark from the aircraft :

Provided that the provisions of sub-rule(1) and this rule shall not be applicable to such persons as may be specified by the Commissioner by a special order.

(3) Aviation Security Group and aircraft operator shall protect the passenger and cabin baggage from unauthorised interference from the point of screening to boarding the aircraft.

22. Certification of screener.—The screening duty shall be performed by such officer who has been certified by the Commissioner.

23. Prohibition on carriage of certain goods.—(1) The Commissioner may by an order in writing prohibit the carriage of certain goods on person or in cabin baggage of a passenger and crew member which, in his opinion, is likely to be used for committing unlawful interference with civil aviation.

(2) Where prohibited goods are detected during screening, the passenger shall not be allowed to board the aircraft and action may be taken against him in accordance with the provisions of these rules or any other law for the time being in force.

PART V - SECURITY MEASURES BY AIRCRAFT OPERATORS

24. Security Programme.—Every aircraft operator shall, with the approval of Commissioner, make and comply with aircraft operator security programme in accordance with the national civil aviation security programme and any amendment to such programme shall be made after the approval of the Commissioner.

25. Security clearance for operation.—(1) No aircraft operator shall commence operation at aerodrome without obtaining the clearance of security arrangements and the approval of the aircraft operator security programme under rule 24 from the Commissioner.

(2) Where the Commissioner is satisfied that any aircraft operator has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, after giving him an opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel the security clearance and security programme granted or approved by him.

26. Deployment of staff.—An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties who are whole time employees whose character and antecedents have been verified and who is employed after proper training, selection procedure and certification in accordance with national civil aviation security programme.

27. Security search of aircraft.—An aircraft operator shall carry out the search of his aircraft—

- (a) before taking it to security restricted area; and
- (b) before boarding of passengers after disembarkation and after disembarkation.

28. Access control to aircraft.—(1) The aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security check to the departure.

(2) The aircraft operator shall control the non-operational aircraft by keeping,—

- (i) cabin doors closed;
- (ii) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted; and
- (iii) tamper evident sealed doors.

29. Closing of cockpit door.—Every aircraft operator shall,—

- (a) lock cockpit doors of aircraft during all phases of flight, unless required to be opened for operational reasons;
- (b) establish and maintain communication system between the flight crew and cabin crew during flight; and
- (c) assign responsibility of access control of cockpit to Pilot-in-command.

30. Deployment of In-flight security officer.—(1) Aircraft operator shall carry such number of In-flight security officer on board a passenger aircraft, as the Commissioner may specify by an order in writing.

(2) Aircraft operator shall declare to the Pilot-in-command the number of armed persons and their seat location.

31. Security control for hold baggage.—(1) The aircraft operator or the aerodrome operator shall screen and protect the hold baggage in such manner as may be specified by the Commissioner from time to time.

32. Identification and reconciliation of hold baggage.—An aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as may be specified by the Commissioner by an order in writing from time to time.

33. Transfer baggage.—The aircraft operator shall screen the transfer hold baggage before loading into an aircraft :—

Provided that the hold baggage screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorised interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome shall not be subject to screening.

34. Carriage of prisoners in aircraft.—(1) The aircraft operator shall carry any prisoner, in such manner as may be specified by an order in writing by the Commissioner.

35. Carriage of cargo, mail, catering items and other stores.—The aircraft operator shall accept on board any cargo, mail, catering items and other stores and supplies in such manner as may be specified by Commissioner.

36. Detention of aircraft.—The Commissioner or any other person authorised in this behalf by the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, detain an aircraft if in his opinion,

- (a) the aircraft has on board unauthorised arms, explosives or other sabotage devices which are likely to cause danger to the security of that aircraft; or
- (b) the aircraft has on board a person who has gained entry in unauthorized manner or is likely to cause unlawful interference with civil aviation operations; or
- (c) the detention is necessary to secure compliance with any of the provisions of these rules.

PART VI—CARGO, COURIER BAGS, MAIL AND REGULATED AGENT

37. Security control for cargo and courier bag.—(1) Any cargo, express cargo or courier bag intended to be carried on any aircraft, shall be received, processed and handled by regular employees who are trained in accordance with the national civil aviation security programme of aircraft operator or any other agency authorised by an order in writing by the Commissioner.

(2) No cargo shall be loaded on aircraft without making security controls including X-ray screening or physical search :—

Provided that the Commissioner may by an order in writing exempt any cargo, express cargo or courier bag from the provisions of this rule.

38. Registration of courier agency.—No aircraft operator shall accept any courier bag for transportation from any agency unless such agency,—

- (a) has registered as such with the aircraft operator; and
- (b) has made and complied with a security programme approved by the Commissioner.

39. Identification or reconciliation of the accompanied courier bags.—The identification or reconciliation accompanied courier bag shall be made by air craft operator in such manner as may be specified by the Commissioner from time to time.

40. Prohibition on carriage of certain goods.—(1) The Commissioner may, by order in writing, prohibit the carriage of certain items through cargo or courier bags or mail.

- (2) The consignment containing prohibited article shall not be loaded on aircraft.

41. Protection of security cleared cargo or mail or courier bag etc.—The aircraft operator or airport operator or any other agency working for any of them shall screen and protect the cargo or mail or courier bag in such manner as may be specified by Commissioner from time to time.

42. Regulated agent.—The aircraft operator may engage Regulated Agent for carriage of cargo, courier or mail to be carried by air, who shall function as per the procedure laid down by the Commissioner in writing from time to time.

PART VII—CATERING SUPPLIES AND STORES

43. Catering supplies.—(1) No person shall supply any catering item for loading in the aircraft without obtaining the approval of its security programme from the Commissioner.

- (2) Where the Commissioner is satisfied that owner or operator of catering establishment has contravened the provisions of sub-rule (1), his security programme shall, after affording an opportunity of being heard, be cancelled

44. Supply of other stores.—No aircraft operator shall load on the aircraft any item for use on the aircraft without security screening.

PART VIII—SECURITY ACCIDENTS/INCIDENTS

45. Reporting of security accident or incident.—Every aircraft operator, aviation security group, aerodrome operator, regulated agent and owner or operator of catering establishment shall report the security accident or security incident to the Commissioner immediately on the occurrence of the security accident or security incident.

46. Investigation of security accident or incident.—(1) The Commissioner may order investigation of any security accident or security incident and appoint an officer not below the rank of Assistant Commissioner of Security as Inquiry Officer.

- (2) The Inquiry Officer shall, after affording an opportunity of being heard to the defaulting person, make a report to the Commissioner who should forward the same to the Central Government.

47. Powers of the Inquiry Officer.—For the purpose of inquiry an Inquiry Officer shall have power—

- (a) to require, by notice, the attendance of any person;
- (b) to require any such person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him;
- (c) to require the production of books, papers, documents and articles;
- (d) to have access to and examine any aircraft or place.

PART IX—GENERAL

48. Inspection.—Any person, authorised by the Commissioner in writing may, at all reasonable times, enter any place or aircraft to which access is necessary and to inspect the facilities, services, equipment, documents and records for the purpose of securing compliance with the provisions of these rules.

[F.No. AV. 11012/001/2009-AS]

SHUBHA THAKUR, Director

जल संसाधन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सा.का.नि. 110.—जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामतः केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में ड्रिलर-सह-मैकेनिक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 52 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धि की जाए :

(1) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, ड्रिलर-सह-मैकेनिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 (2010 का सा.का.नि. 52)

(i) कॉलम (6) के अंतर्गत लिखे गए 'नहीं' के स्थान पर 'लागू नहीं' पढ़ा जाए ।

(ii) कॉलम (8) के अंतर्गत 'टिप्पण 1' को हटा दिया जाए ।

(iii) कॉलम (9) के अंतर्गत लिखे गए 'नहीं' के स्थान पर 'लागू नहीं' पढ़ा जाए ।

[फा. सं. 23/38/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में 23 अप्रैल, 2004 के सा.का.नि. 162 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 31 मार्च, 2006 के सा.का.नि. 80 और 13 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 52 के तहत संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th March, 2011

G.S.R. 110.—In the following notification published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide number GSR 52 dated 13th March, 2010 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Driller-cum-Mechanic in the Central Ground Water Board, a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following correction may be made :—

(1) The Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010 (GSR 52 of 2010)

(i) Under column (6) instead of the existing 'No' the following may be read "Not applicable".

(ii) Under column (8) Note 1 may be deleted.

(iii) Under column (9) instead of the existing 'No' the following may be read "Not applicable".

[F. No. 23/38/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 162 dated 23rd April, 2004 and subsequently amended vide number GSR 80 dated 31st March, 2006 and GSR 52 dated 13th March, 2010.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (परा-चिकित्सा कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उसका संबंध भेषजज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, भेषजज्ञ, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—इससे संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200— 20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	20 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह

(6)		
अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य;	लागू नहीं होता	दो वर्ष
2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से दो वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा		
3. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से भेषजी में तीन मास का प्रशिक्षण और		
4. केन्द्रीय या राज्य भेषज परिषद् में भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत।		
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		
(12)	(13)	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं होता।
1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष		
2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य		
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य		

[फा. सं. 2/4/99-स्था. II]

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2011

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Research Station, Pune, (Para Medical Staff, Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Pharmacist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Pharmacist, Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scales attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Between 20 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,

(6)		
Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(1) 10+2 or equivalent from a recognized Board; (2) two years duration diploma in Pharmacy from a recognised institution; (3) three months training in Pharmacy from a recognised institution; and (4) registered as Pharmacist with the Central or State Pharmacy Council. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	
(10)	(11)	
Direct recruitment	Not applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(12)	(13)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :—	Not applicable.	
1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Chairman	
2. Medical Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member	
3. A Group 'A' Officer from any other Central Government Department	—Member	

[F. No. 2/4/99-E. II]

L. P. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-2	06* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल

(7)

करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(ii) कुशल परीक्षण मान :

(क) श्रुतलेखन :

10 मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की दर से

अनुलिपिकरण :

कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)

टिप्पण : अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	--

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	---

(13)	(14)
------	------

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता ।
---	------------------

- | | |
|---|----------|
| 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे | —सदस्य |
| 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. 2/16/98-स्था. II (जिल्द III)]

अनूप सेट, निदेशक (स्था. II)

New Delhi, the 21st March, 2011

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-III, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade-II, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno-grapher Grade II	06* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
(i) 12th Class pass from a recognised Board or equivalent; and				Not applicable	Two years	

(8)

(ii) Skill Test Norms :—

(a) Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute.

Transcription : 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer.

Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Central Government.**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

Direct recruitment

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :—

Not applicable.

1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman
2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member
3. A Group 'A' Officer from other Central Government Department —Member

[F. No. 2/16/98-E. II (Vol. III)]
ANOOP SETHI, Director (E. II)**कृषि मंत्रालय**

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) में कुछ समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग (समूह "ग") भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड व ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारिवृंद	198* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(8)			(9)		(10)
	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य			लागू नहीं होता		दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
1. निदेशक/उप सचिव (कार्मिक) —अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (कार्मिक) —सदस्य	
3. अवर सचिव (जी. ए.) —सदस्य	

[फा. सं. 12016/1/2010-स्था. III]

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Cooperation)**

New Delhi, the 25th March, 2011

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation) (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	198* (2011) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200)+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Matriculation or equivalent				Not applicable	Two years	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made		
(11)				(12)		
By direct recruitment				Not applicable		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)				(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:—				Not applicable.		
1. Director/Deputy Secretary (P) —Chairman						
2. Under Secretary (P) —Member						
3. Under Secretary (GA) —Member						

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (क्षेत्रीय निदेशक) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, मुम्बई में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (क्षेत्रीय निदेशक) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्षेत्रीय निदेशक	6*(छह)(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड (पी.बी. 3) 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(8)			(9)		(10)
	लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(11)

66.67% प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक सविदा सम्मिलित है।
33.33% प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक सविदा सम्मिलित है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(12)

प्रोन्नति :

15600—39100 रुपए के वेतन बैंड-3 और 6600 रुपए ग्रेड वेतन में ऐसा ज्येष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो—

(क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) मूल काडर या विभाग में 15600—39100 रुपए के वेतन बैंड-3 और 6600 रुपए ग्रेड वेतन या समतुल्य में नियमित आधार पर इस पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणि विज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या मात्स्यकी विज्ञान या समुद्री विज्ञान या औद्योगिक मात्स्यकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मात्स्यकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ii) मात्स्यकी सर्वेक्षण या समुद्री अनुसंधान जिसके अंतर्गत क्रूज योजना और समुद्री यात्रा में भाग लेना भी है, आधुनिक मत्स्य पद्धति और मत्स्य विभाग में दस वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणि विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/समुद्री विज्ञान/मात्स्यकी विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :-	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (मात्स्यकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य	
3. मात्स्यकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग —सदस्य	
4. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, मुम्बई —सदस्य	

[फा. सं. 2-11/2010-मत्स्य. प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 25th January, 2011

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Fishery Survey of India, (Zonal Director) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Zonal Director in the Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India (Zonal Director), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the Pay Band, Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Zonal Director	*6(Six)(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band (PB-3) of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	No	Not applicable
Educational qualification and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
(11)			(12)			
66.67% promotion failing which by deputation including short-term contract. 33.33% deputation including short-term contract.			<p>Promotion : Senior Fisheries Scientist in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to their next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agriculture Universities/Recognized Research Institutions or Councils/Public Sector Undertakings/Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or</p>			

(12)

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

Essential :

(i) Master's degree in Zoology or Marine Biology or Fisheries Science or Oceanography or Industrial Fisheries from a recognized university or equivalent

OR

Post Graduate Diploma in Fisheries Science of the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai

(ii) Ten years experience in survey or research of Marine Fisheries including Cruise Planning and participation in voyages, modern fishing methods, fishery development.

Desirable :

Doctorate Degree in Zoology or Marine Biology/Oceanography/ Fisheries Science or a recognized university or equivalent.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) :—

- | | |
|---|-----------|
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 3. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 4. Director General, Fishery Survey of India, Mumbai | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing on deputation (including short-term contract).

[F. No. 2-11/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.